बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

Civil Appeal No- 18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आ॰–न्याय–73/2024 12679/ सा॰प्र॰, दिनांक 12-08-2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन संख्या 18/2024 से 21/2024 के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल तांती (ततवा) जाति से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति का दावा किया है, को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने Username एवं Password से Login करते हुए दिनांक **27-08-2024** से **21-09-2024** तक अपनी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) कोटि के तहत् तांती (ततवा) अवश्य सुधार कर लें। वैसे सभी अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

यदि दिनांक **21-09-2024** तक आरक्षण कोटि में सुधार/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

21.8.2024

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना